

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री एल.आर. कोली 2. वर्तमान भारित पद उपायुक्त  
 3. वर्तमान वेतन 15600-39800 + G.P. 6600 एवं अन्य अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2018


उस जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से अर्जित आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1-भोपाल	पैतृक भवन	पुराना मकान	पैतृक मकान लगभग 6.00 लाख	ज्ञात नहीं	पैतृक	विरासत में, जन्म से	
2-भोपाल	स्वयं का मकान	-	दिनांक 25.02.1983 को निगम द्वारा निर्धारित लीजरेट	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर।	भोपाल नगर निगम द्वारा 30 वर्ष की लीज पर आवंटित भूखण्ड क्रं. 386 पर निगम से एवं बैंक से ऋण लेकर निर्मित भवन	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* इस मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सनस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर .....   
 23/11/2018

नाम - एल.आर. कोली

पद - उपायुक्त

## फार्म

## प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री एल.आर. कोली 2. वर्तमान भारत पद उपायुक्त  
3. वर्तमान वेतन 15600-39800 + G.P. 6600 एवं अन्य अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2018

उस जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया लगेद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से अर्जित आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1-भोपाल	पैतृक भवन	पुराना मकान	पैतृक मकान लगभग 6.00 लाख	ज्ञात नहीं	पैतृक	विरासत में, जन्म से	
2-भोपाल	स्वयं का मकान	-	दिनांक 25.02. 1983 को निगम द्वारा निर्धारित लीजरेन्ट	ज्ञात नहीं।	स्वयं के नाम पर।	भोपाल नगरर निगम द्वारा 30 वर्ष की लीज पर आवंटित भूखण्ड क्रं. 386 पर निगम से एवं बैंक से ऋण लेकर निर्मित भवन	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* इस मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर .....

*Handwritten Signature*  
23/11/2018

नाम - एल.आर. कोली

पद - उपायुक्त